



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19102021-230512
CG-MH-E-19102021-230512

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]
No. 475]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 29 सितंबर, 2021

सं. टीएमपी/29/2021—डीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, परियोजना के नाम में परिवर्तन और (i) कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची में खाद्यान्नों के लिए कार्गो विवरण और (ii) दीनदयाल पत्तन में पीपीपी मोड के अधीन डीबीओटी आधार पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण से संबंधित आदेश सं. टीएमपी/29/2021—डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानकों में कार्गो विवरण में संशोधन के लिए दीनदयाल पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/29/2021—डीपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितंबर, 2021 के 15वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन में पीपीपी मोड के अधीन डीबीओटी आधार पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण से संबंधित आदेश सं. टीएएमपी/29/2021-डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रांजिट भंडारण विराम समय (बल्क) के अधीन "निर्यात-सभी कार्गो" के लिए और (i) कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची में खाद्यान्नों के लिए कार्गो विवरण (ii) सकल बर्थ आउटपुट के अधीन खाद्यान्नों के लिए कार्यनिष्पादन मानकों में कार्गो विवरण में संशोधन और परियोजना के नाम में संशोधन किए जाने संबंधी दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने दीनदयाल पत्तन में पीपीपी मोड के अधीन डीबीओटी आधार पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण हेतु डीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक आदेश सं. टीएएमपी/29/2021-डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 पारित किया था जिसे 11 जून 2021 को राजपत्र सं. 227 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2.2. उक्त आदेश में, डीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर, इस प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्गो प्रहस्तन प्रभार अनुमोदित किए गए थे:

3. कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची:

क. (i) समेकित अभियंत्रिकृत प्रहस्तन प्रभार (बैगिंग और सिलाई सेवा अतिरिक्त)

(रु. प्रति मी.ट.)

विवरण/कार्गो	विदेशी	तटीय
पोटाश का म्यूरेट, यूरिया, डीएपी आदि सहित तैयार उर्वरक	171.37	102.82

(ii) कार्गो प्रहस्तन प्रभार (बैगिंग और सिलाई सेवा अतिरिक्त):

(रु. प्रति मी.ट.)

विवरण/कार्गो	विदेशी	तटीय
खाद्यान्न	152.36	91.41

2.3. इसके अलावा, डीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर, प्राप्ति/डिलीवरी परिचालन के लिए वापसी समय हेतु कार्यनिष्पादन मानकों के अलावा, सकल बर्थ आउटपुट और ट्रांजिट भंडारण विराम समय (बल्क) के लिए निम्नलिखित कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित किए गए थे:

कार्यनिष्पादन मानक

	पैरामीटर	कार्यनिष्पादन मानक
1	सकल बर्थ आउटपुट (टन प्रतिदिन)	
	उर्वरक	25000 टन/दिन
	खाद्यान्न	20000 टन/दिन
2	ट्रांजिट भंडारण विराम समय (बल्क)	
	आयात – उर्वरक	20 दिन
	आयात – खाद्यान्न	05 दिन
	निर्यात – सभी कार्गो	15 दिन

3.1. उक्त आदेश दिनांक 13 मई 2021 के संदर्भ में, दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) ने अपने पत्र सं. एमएस/डब्ल्यूके/4030-IV/पीपीपी/प्रशुल्क/जिम-448 दिनांक 18 अगस्त 2021 के कवर के अधीन अपने ईमेल दिनांक 18 अगस्त 2021 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए थे:-

- (i) मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं. पीडी-13/75/2020-पीपीपी/ई-343086 दिनांक 7 जुलाई 2021 द्वारा यथा निदेशित, माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डीपीटी का प्रस्ताव इस शर्त के साथ पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं कि पत्तन को बहुउद्देशीय/साफ कार्गो बर्थ के लिए जाना चाहिए। तदनुसार, पत्तन को सलाह दी गई है कि खाद्यान्न से परे बहुउद्देशीय/साफ कार्गो कारोबार में वृद्धि के लिए योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। तथापि, बर्थ-14 में प्रहस्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्गो के प्रावधान मॉडल रियायत अनुबंध के प्रावधानों के भीतर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित बोली दस्तावेजों एवं रियायत करार में उपयुक्तत शामिल किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- (ii) तदनुसार, डीपीटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित, परियोजना का नाम बोली दस्तावेजों अर्थात् आरएफक्यू, आरएफपी और डीसीए में "पीपीपी मोड के अधीन डिजाइन, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (डीबीओटी) पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रिकृत उर्वरक और अन्य साफ कार्गो प्रहस्तन सुविधाओं का विकास" रूप में संशोधित किया गया है।
- (iii) यह उल्लेखनीय है कि बोली दस्तावेज में खाद्यान्न के स्थान पर अन्य साफ कार्गो संशोधन एवं समावेशन परियोजना के वित्तीय माडल और आईआरआर आदि को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता है क्योंकि कार्यनिष्पादन पैरामीटर अर्थात् बर्थ आउटपुट, ट्रांजिट भंडारण विराम समय, और सुविचारित अन्य साफ कार्गो के परिचालनों के लिए वापिसी समय बर्थ सं. 13 से 16 के लिए टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 के आधार पर पहले सुविचारित खाद्यान्न के कार्यनिष्पादन मानक के समान हैं।
- (iv) तदनुसार, कार्गो विवरण कार्यनिष्पादन मानक एवं दरों में बिना किसी परिवर्तन के कार्गो श्रेणी के मामले में संशोधित किया गया है, जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है:-

(रु. प्रति मी.ट.)

कार्गो प्रहस्तन प्रभार			
विवरण/कार्गो (आदेश दिनांक 13.5.2021 के अनुसार)	विवरण/कार्गो (संशोधित)	विदेशी	तटीय
खाद्यान्न	अन्य साफ कार्गो	152.36	91.41

क्र.सं.	पैरामीटर (आदेश दिनांक 13.5.2021 के अनुसार)	संशोधित प्रस्तावित पैरामीटर	कार्यनिष्पादन मानक
1.	सकल बर्थ आउटपुट (टन प्रतिदिन)	सकल बर्थ आउटपुट (टन प्रतिदिन)	
	खाद्यान्न	अन्य साफ कार्गो	20000 टन/दिन
2.	ट्रांजिट भंडारण विराम समय (बल्क)		
	निर्यात सभी कार्गो	निर्यात सभी अन्य साफ कार्गो	15 दिन

3.2. उपर्युक्त पर विचार करते हुए, डीपीटी ने “पीपीपी मोड के अधीन डिजाइन, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (डीबीओटी) पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक और अन्य साफ कार्गो प्रहस्तन सुविधाओं का विकास” परियोजना के लिए संशोधित कार्गो विवरण और कार्यनिष्पादन मानक अनुमोदित एवं शामिल करने का अनुरोध किया है।

3.3. तत्पश्चात, डीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 24 अगस्त 2021 द्वारा डीपीटी के अध्यक्ष को इस संबंध में संबोधित एमओपीएसडब्ल्यू पत्र सं. पीडी-13/75/2020-पीपीपी/ई-343086 दिनांक 7 जुलाई 2021 की प्रतिलिपि अग्रप्रेषित की थी।

4. समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित बिन्दु प्रकट होते हैं:-

- (i) मौजूदा संशोधन प्रस्ताव डीपीटी द्वारा मुख्य रूप से डीपीटी को लिखे गए एमओपीएसडब्ल्यू पत्र दिनांक 7 जुलाई 2021 के अनुसरण में है।
- (ii) कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची में कार्गो के नाम और आदेश सं. टीएमपी/29/2021-डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानकों में बदलाव के लिए डीपीटी के मौजूदा संशोधन प्रस्ताव पर कार्यवाही किए जाने से पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के विकास के लिए संदर्भ प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा डीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर आदेश सं. टीएमपी/29/2021-डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 द्वारा 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए अनुमोदित किया गया था। डीपीटी ने तब डीपीटी में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा के लिए आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उर्वरक प्रहस्तन प्रभारों, बैगिंग तथा सिलाई सेवा प्रभारों और भंडारण प्रभारों के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभारों हेतु अपफ्रंट प्रशुल्क अंगीकृत करने का प्रस्ताव किया था, खाद्यान्नों के प्रहस्तन के लिए संदर्भ प्रशुल्क डीपीटी में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ सं. 13 से 16 के लिए आदेश सं. टीएमपी/48/2015-केपीटी दिनांक 22 सितंबर 2015 द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क से अंगीकृत किया गया था और विविध प्रभार लागू सूचकांकन कारक लागू करने के बाद विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के मूल अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 से अंगीकृत किए गए थे।

यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के अधीन एक बार निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए लागू है और केवल वार्षिक सूचकांकन के अधीन है। डीपीटी के प्रस्ताव से यह देखा गया है कि पत्तन परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित करने की कार्यवाही चल रही है। ऐसी स्थिति में, कार्गो के नाम में संशोधन के लिए डीपीटी के प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

- (iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने इस शर्त के साथ डीपीटी का परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया था कि पत्तन निकट भविष्य में उर्वरक आयात में संभावित कमी के आलोक में बहुउद्देशीय/साफ कार्गो बर्थ के लिए जा सकता है। कारोबार में वृद्धि के लिए खाद्यान्नों के परे बहुउद्देशीय/साफ कार्गो के लिए एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा डीपीटी को दी गई सलाह के आधार पर, पत्तन ने मौजूदा संशोधन प्रस्ताव दाखिल किया है।

पत्तन ने, डीपीटी के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, बोली दस्तावेजों अर्थात् आरएफक्यू, आरएफपी और डीसीए में परियोजना का नाम “पीपीपी मोड के अधीन डीबीओटी आधार पर बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक और अन्य साफ कार्गो प्रहस्तन सुविधाओं का विकास” के रूप में संशोधित किया गया है।

आदेश दिनांक 13 मई 2021 में निर्धारित समेकित कार्गो प्रहस्तन प्रभार तैयार उर्वरक तथा खाद्यान्न के लिए है। बहुउद्देशीय/साफ कार्गो के लिए खाद्यान्नों के परे एमओपीएसडब्ल्यू की सलाह के अनुसरण में पत्तन ने समेकित प्रहस्तन प्रभारों में “खाद्यान्नों” के नाम को “अन्य साफ कार्गो” के रूप में बदले जाने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने उक्त आदेश में निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है।

इसके अलावा, पत्तन ने कार्यनिष्पादन मानकों के सकल बर्थ आउटपुट पैरामीटर के अधीन कार्गो के नाम अर्थात् ‘खाद्यान्न’ को ‘अन्य साफ कार्गो’ से बदले जाने का प्रस्ताव किया था और कार्गो का नाम ‘निर्यात – सभी कार्गो’ ट्रांजिट भंडारण विराम समय के लिए कार्यनिष्पादन मानकों के अधीन ‘निर्यात – सभी अन्य साफ कार्गो’ के रूप में संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। पत्तन ने उक्त आदेश में निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया था।

पत्तन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोली दस्तावेज में प्रस्तावित संशोधन परियोजना के वित्तीय माडल और आईआरआर आदि को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि कार्यनिष्पादन पैरामीटर अर्थात् बर्थ दिवस आउटपुट, ट्रांजिट समय, सुविचारित अन्य

साफ कार्गो के प्रहस्तन परिचालनों के लिए अंगीकृत प्रशुल्क आदेश दिनांक 22 सितंबर 2015 से खाद्यान्नों के लिए पहले सुविचारित किए गए के समान हैं। डीपीटी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण पर विश्वास किया गया है।

इस प्रकार, प्रस्तावित संशोधन परियोजना के वित्तीय माडल को प्रभावित किए बिना कार्गो मदों के विवरण/नाम में परिवर्तन के लिए ही है। अनुमोदित प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानकों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित कार्गो में नाम के मामले में ही संशोधन जारी करने के लिए पर्याप्त है।

उपयुक्त स्थिति के मद्देनजर और चूंकि डीपीटी द्वारा मांग किया गया संशोधन एमओपीएसडब्ल्यू की सलाह के अनुपालन में है और यह भी स्वीकार करते हुए कि डीपीटी ने अभी परियोजना अवार्ड करनी है, यह प्राधिकरण कार्गो प्रहस्तन प्रभारों और कार्यनिष्पादन मानकों में पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित कार्गो के नाम में संशोधन के लिए डीपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है। पत्तन को यह सलाह दी जाती है कि बोली दस्तावेजों एवं रियायत करार में बोली दस्तावेजों में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधनों को शामिल करे।

डीपीटी द्वारा परियोजना नाम में परिवर्तन के मद्देनजर, आदेश सं. टीएमपी/29/2021—डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क सभी प्रयोजनों के लिए डीपीटी में बर्थ सं. 14 में अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं और अन्य साफ कार्गो प्रहस्तन सुविधाओं के विकास के लिए अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, उक्त आदेश के साथ संलग्न अनुबंध-1 में शीर्षक को भी तदनुसार उपयुक्ततः संशोधित करें।

5.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण आदेश सं. टीएमपी/29/2021—डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करता है:—

(i) आदेश दिनांक 13 मई 2021 के साथ संलग्न अनुबंध-1 के शीर्षक को निम्नवत् बदला जाए:

“डीपीटी में बर्थ सं. 14 अभियंत्रित उर्वरक प्रहस्तन सुविधा और अन्य साफ कार्गो के लिए संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची”

(ii) 3. कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची के अधीन क (ii) में प्रथम कॉलम में विवरण/कार्गो में प्रविष्टि को निम्नवत् बदला जाए:

3. कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची:

क. (ii) कार्गो प्रहस्तन प्रभार (बैगिंग तथा सिलाई सेवा अतिरिक्त):

आदेश दिनांक 13.5.2021 के अनुसार	निम्नवत् पढ़ा जाए
विवरण/कार्गो	विवरण/कार्गो
खाद्यान्न	अन्य साफ कार्गो

(iii) क्र.सं. 1 के अधीन दूसरी प्रविष्टि में कार्गो विवरण और अनुबंध-II कार्यनिष्पादन मानक में “पैरामीटर” कॉलम के अधीन क्र.सं. 2 के अधीन तीसरी प्रविष्टि को निम्नवत् बदला जाए:

कार्यनिष्पादन मानक

क्र.सं.	आदेश दिनांक 13.05.2021 के अनुसार	निम्नवत् पढ़ा जाए
	पैरामीटर	पैरामीटर
1.	सकल बर्थ आउटपुट (टन प्रतिदिन)	सकल बर्थ आउटपुट (टन प्रतिदिन)
	खाद्यान्न	अन्य साफ कार्गो
2.	ट्रांजिट भंडारण विराम समय (बल्क)	ट्रांजिट भंडारण विराम समय (बल्क)
	निर्यात – सभी कार्गो	निर्यात – सभी अन्य साफ कार्गो

5.2. डीपीटी को यह सलाह दी जाती है कि आदेश सं. टीएमपी/29/2021-डीपीटी दिनांक 13 मई 2021 द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची और कार्यनिष्पादन मानकों को उपयुक्ततः संशोधित करें और बोली दस्तावेजों एवं रियायत करार में उक्त संशोधनों को भी शामिल करें।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./339/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Notification

Mumbai, the 29th September, 2021

No. TAMP/29/2021-DPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Deendayal Port Trust for change in the name of the project and amendment in (i) cargo description for Foodgrains in the Schedule of Cargo handling charges and (ii). cargo description in Performance Standards approved by this Authority in the Order No.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May, 2021 relating to fixation of Reference tariff for Development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No. 14 on DBOT basis under PPP mode at Deendayal Port as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/29/2021-DPT

Deendayal Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2021)

This case deals with the amendment proposal by Deendayal Port Trust (DPT) in the name of the project and amendment in (i) cargo description for Foodgrains in the Schedule of Cargo handling charges (ii) cargo description in Performance Standards for Foodgrains under Gross Berth Output and for “Export-all cargo” under Transit storage dwell time (Bulk) approved by this Authority in the Order No.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May 2021 relating to fixation of Reference tariff for Development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No.14 on DBOT basis under PPP mode at Deendayal Port.

2.1. This Authority has passed an Order No.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May 2021 disposing of the proposal filed by the DPT for fixation of reference tariff for development of Mechanized Fertilizer handling Facilities at Berth No. 14 on DBOT basis under PPP mode at Deendayal Port which was notified in the Gazette of India on 11 June 2021 vide Gazette No.227.

2.2. In the said Order, based on the submissions made by the DPT the following Cargo Handling Charges was approved by this Authority:

3. Schedule of Cargo Handling Charges:**A. (i). Composite Mechanized Handling Charge (excluding bagging and stitching service)**

(₹ Per MT)

Description / Cargo	Foreign	Coastal
Finished Fertilizers including Muriate of potash, Urea, DAP etc.	171.37	102.82

(ii). Cargo Handling charges (excluding bagging and stitching service):

(₹ Per MT)

Description / Cargo	Foreign	Coastal
Food Grains	152.36	91.41

2.3. Further, based on the proposal of the DPT, in addition to Performance Standards for Turnaround Time for receipt / delivery operation, the following Performance Standards for Gross Berth Output and Transit Storage Dwell Time(Bulk) was prescribed:

Performance Standards

	Parameter	Performance Standard
1	Gross Berth Output (Tonnes per day)	
	Fertilizer	25000 T/Day
	Food Grains	20000 T/Day
2	Transit Storage Dwell Time (Bulk)	
	Import -Fertilizer	20 Days
	Import- Food Grains	05 days
	Export - all cargo	15 days

3.1. With reference to the said Order dated 13 May 2021, the Deendayal Port Trust (DPT) vide its email dated 18 August 2021 under cover of its letter No.MS/WK/4030-IV/PPP/Tariff/Gim-448 dated 18 August 2021 has made the following submission:

- (i) As directed by the Ministry vide its letter no.PD-13/75/2020-PPP/e-343086 dated 7 July 2021, the Hon'ble Minister of State for Ports, Shipping & Waterways (IC) has already approved the proposal of DPT with the condition that the Port may go for multipurpose/ clean cargo berth. Accordingly, the port has been advised that multipurpose/ clean cargo beyond foodgrains should be planned for increase in business. However, the provisions of the cargo proposed to be handled at the Berth-14 may be considered for incorporation in the bidding documents as well as Concession Agreement suitably, strictly within the framework of the provisions of the Model Concession Agreement and as approved by the competent authority.
- (ii) Accordingly, as approved by the Competent Authority of DPT, The name of the project has been modified as "Development of Mechanized Fertilizer and Other Clean Cargo Handling Facilities at Berth No-14 on Design, Build, Operate and Transfer (DBOT) basis under PPP mode" in the bidding documents viz. RFQ, RFP & DCA.
- (iii) It is to mention that, the modification & inclusion of other clean cargo in replacement of food-grains in the bidding document does not specifically affect the financial model & IRR etc. of the project as the performance parameters viz. berth output, transit storage dwell time, and turnaround time for operations of other clean cargo considered are same to the previously considered performance standard of food-grain based on the TAMP order No. TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015, for Berth nos.13 to 16.

- (iv) Accordingly, the cargo description has been revised with respect to cargo category without any change in performance standard & rates, as mentioned below:

(₹ Per MT)

Cargo Handling charges			
Description/ Cargo (as per Order dated 13.5.2021)	Description/Cargo (Revised)	Reign	Coastal
Food Grains	Other Clean cargo	152.36	91.41

Sl.No.	Parameter (as per Order dated 13.5.2021)	Revised proposed Parameter	Performance standard
1.	Gross Berth Output (Tonnes per day)	Gross Berth Output (Tonnes per day)	
	Food Grains	Other Clean cargo	20000 T/Day
2.	Transit Storage Dwell Time (Bulk)		
	Export all cargo	Export all Other Clean cargo	15 days

3.2. Considering the above, the DPT has requested to approve and incorporate revised cargo description and Performance Standards for the project "Development of Mechanised Fertiliser and Other Clean Cargo Handling Facilities at Berth No.14 on Design, Build, Operate and Transfer(DBOT) basis under PPP mode".

3.3. Subsequently, the DPT vide its email dated 24 August 2021 has also forwarded a copy of the MOPSW letter No.PD-13/75/2020-PPP/e-343086 dated 7 July 2021 in this regard addressed to the Chairman of DPT.

4. With reference to the totality of the information collected, the following points emerges:

- (i) The current amendment proposal is mooted by the DPT mainly in pursuance of the MOPSW letter dated 7 July 2021 to the DPT.
- (ii) Before proceeding to deal with the current amendment proposal of DPT for change in the nomenclature of cargo in schedule of cargo handling charges and performance standards approved by this Authority vide Order no.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May 2021, it is relevant to state that the reference tariff for development of Mechanised fertilizer handling facility at Berth No.14 at DPT was approved by this Authority following the Reference Tariff Guidelines of 2013 vide Order no.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May 2021 based on the proposal filed by the DPT. The DPT had then proposed to adopt upfront tariff for cargo handling charges for Fertiliser handling charges, charges for Bagging and stitching services and Storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 31 March 2010 for mechanized fertilizer handling facility at VPT, reference tariff for handling of Foodgrains was adopted from the reference tariff approved vide Order No.TAMP/48/2015-KPT dated 22 September 2015 for multipurpose cargo Berth Nos.13 to 16 at DPT and Miscellaneous charges was adopted from the original upfront tariff Order No.TAMP/26/2009-VPT dated 27 November 2009 of Visakhapatnam Port Trust (VPT) after applying the applicable indexation factor.

It is relevant here to state that the reference tariff once fixed under reference tariff guidelines 2013 is applicable for the entire project period and is subject to annual indexation only. It is seen from the DPT proposal, that port is in the process of inviting bids for the project. That being so, the proposal of the DPT for amendment in nomenclature of cargo is considered.

- (iii) The Ministry of Ports Shipping and Waterways (MOPSW) has approved the project proposal of the DPT with the condition that the port may go for multipurpose/ clean cargo berth in the light of likely fall in the fertilizers import in near future. Based on the advice by the MOPSW to the DPT to go for multipurpose/ clean cargo beyond food grains for increase in business, the port has filed the current amendment proposal.

The port has, with the approval of its competent authority of DPT, modified the name of the project as “Development of Mechanised Fertiliser and Other Clean Cargo Handling Facilities at Berth No.14 on DBOT basis under PPP mode” in the bid documents viz., RFQ, RFP & DCA.

The composite cargo handling charges prescribed in the Order dated 13 May 2021 is for finished fertilizer and food grains. The port in pursuance of the advice of the MOPSW to go beyond Foodgrains for multipurpose / clean cargo has proposed to replace the nomenclature of “Food grains” in the composite handling charges as “Other clean cargo”. The port has not proposed any modification in the handling charges prescribed in the said Order.

Further, the port has also proposed amendment in the nomenclature of cargo i.e. ‘Food Grains’ to be replaced with ‘Other Clean Cargo’ under the Gross berth output parameter of performance standards and nomenclature of cargo ‘Export - all cargo’ is proposed to be amended as ‘Export - all other Clean cargo’ under Performance Standards for Transit storage dwell time. The port has not proposed any modification in the performance standards prescribed in the said Order.

The port has categorically stated that the proposed amendment in the bidding document does not affect the financial model and IRR etc. of the project as the performance parameters viz. berth day output, transit time, for handling operations of other clean cargo considered are same as previously considered for food grains from the adopted tariff Order dated 22 September 2015. The clarification furnished by the DPT is relied upon.

Thus, the proposed amendment is only for change in the description/ nomenclature of cargo items without affecting the financial model of the project. No change is proposed in the approved tariff and performance standards. That being so, it may suffice to issue amendment only in respect of nomenclature in cargo as proposed by the port.

In view of the above position and since the amendment sought by the DPT is in compliance of the advice of the MOPSW and also recognising that the DPT is yet to award the project, this Authority approves the proposal of the DPT for amendment in nomenclature of cargo as proposed by the port in the Cargo handling charges and Performance standards. The port is advised to incorporate the amendments approved by this Authority in the bidding documents as well as in the Concession Agreement.

In view of change in the project name by the DPT, the Reference tariff approved by this Authority in the Order No.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May 2021 is to be treated as Reference tariff approved for Development of Mechanised Fertiliser Handling Facilities and Other Clean Cargo Handling Facilities at Berth No.14 at DPT for all purposes. Further, the title in the Annex-I attached to the said Order may also be suitably amended accordingly.

5.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following amendments in Order No.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May 2021:

- (i) **Title heading of Annex – I attached to the Order dated 13 May 2021 to be replaced as follows:**

**“REFERENCE TARIFF SCHEDULE FOR MECHANISED FERTILISER
HANDLING FACILITY AND OTHER CLEAN CARGO AT BERTH NO. 14 AT
DPT”**

- (ii) **Entry in Description / Cargo in Column first at A (ii) under 3. Schedule of Cargo Handling Charges to be replaced as follows:**

3. Schedule of Cargo Handling Charges:

- A. (ii). Cargo Handling charges (excluding bagging and stitching service):**

As per Order dated 13.5.2021	To be read as
Description / Cargo	Description / Cargo
Food Grains	Other Clean cargo

- (iii). **Cargo description at second entry under Sl. No. 1 and third entry under Sl. No. 2 under the column “ Parameter” in Annex – II Performance Standards to be replaced as follows:**

Performance Standards

Sl. No.	As per Order dated 13.05.2021	To be read as
	Parameter	Parameter
1.	Gross Berth Output (Tonnes per day)	Gross Berth Output (Tonnes per day)
	Food Grains	Other Clean cargo
2.	Transit Storage Dwell Time (Bulk)	Transit Storage Dwell Time (Bulk)
	Export - all cargo	Export - all Other Clean cargo

5.2. The DPT is advised to suitably amend the Reference tariff schedule and Performance Standards approved vide Order No.TAMP/29/2021-DPT dated 13 May 2021 and to also incorporate the said amendments in the bidding documents as well as in the Concession Agreement.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./339/2021-22]